A/7

न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी,
आई.ए.एस.

अपील संख्याः– 93 / 2021

दुर्गाप्रसाद मेघवाल पुत्र औंकारमल, जाति मेघवाल, निवासी वार्ड नं. 5, पोपरणा, तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं।

– अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं तहसील व जिला झुंझुनूं।

– रेस्पोडेंट

– – –

अपील अ0 धारा 22 (क) राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 15.10.2020 द्वारा अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुन्झुनू उनवानी प्रकरण सरकार बनाम मैसर्स श्री दुर्गा प्रसाद उचित मूल्य दुकानदार पपुरना तहसील खेतड़ी बाबत निलम्बित करने प्राधिकार 71 / 2020

– – –

उपस्थित : –

1. श्री ओमप्रकाश सैनी, एडवोकेट – अपीलार्थी की ओर से ।
2. श्री रामावतार, विभागीय पैरोकार – रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

आदेश

दिनांकः– 03.03.2022

प्रस्तुत अपील विद्वान जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 15.10.2020 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 के पेश की है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न आधारो सहित पेश है कि आदेश दिनांक 15.10.2020 विधिविरूद्ध गलत एवं अनौचित्य पूर्ण है। जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर साक्ष्य पर गौर नही किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जबाबदेही को नजरअन्दाज किया है। अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की है। अपीलान्ट को

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 13:11:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी मे अलोट हुई थी जिसका सुचारू रूप से अपीलान्ट द्वारा वितरण सामग्री करता आ रहा था। अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 15.10.2020 है जिसमे अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान पपुरना का लाईसेन्स गलत तौर पर निरस्त कर दिया गया था जबकि अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नही थी तथा ना ही कोई कमी पाई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.10.2020 के विरूद्व अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे सिविल पीटिशन संख्या 11022/2020 पेश की गई थी जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2021 को आदेश पारित किया गया कि– It is made clear that the remedies available under the Rajasthan Food Grains and Other Essential Commodities (Act of Distribution) Order 1976, the shops in question shall not be allotted to any third person." माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नही दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा श्रीमान्जी के समक्ष दिनांक 04.10.2021 को प्रार्थना पत्र मय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की गई थी तथा रसद अधिकारी को भी पेश की गई थी परन्तु उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नही हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय मे अतिशीघ्र पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट पेशकर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर अदालत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नही दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिये जाने का आदेश जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को दिया जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिनांक 15.10.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

बहस सुनी गयी । वकील अपीलान्ट बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी ने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड पर साक्ष्य पर गौर नही किया है अदालत मातहत ने अपीलान्ट के द्वारा प्रस्तुत जबाबदेही को नजरअन्दाज किया है अपीलान्ट ने किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की है। अपीलान्ट को उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी मे अलोट हुई थी जिसका सुचारू रूप से

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

अपीलान्ट द्वारा वितरण सामग्री करता आ रहा था। अदालत मातहत जिला रसद अधिकारी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 15.10.2020 है जिसमे अपीलान्ट की उचित मूल्य की दुकान पपुरना का लाईसेन्स गलत तौर पर निरस्त कर दिया गया था जबकि अपीलान्ट की किसी प्रकार की कोई लापरवाही नही थी तथा ना ही कोई कमी पाई गई थी। अपीलान्ट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 15.10.2020 के विरूद्व अपील माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे सिविल पीटिशन संख्या 11022/2020 पेश की गई थी जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 24.09.2021 को आदेश पारित किया गया कि– **It is made clear that the remedies available under the Rajasthan Food Grains and Other Essential Commodities (Act of Distribution) Order 1976, the shops in question shall not be allotted to any third person.**" माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नही दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिया जाना न्यायहित मे न्यायोचित है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना हेतु अपीलान्ट द्वारा श्रीमान्जी के समक्ष दिनांक 04.10.2021 को प्रार्थना पत्र मय उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति पेश की गई थी तथा रसद अधिकारी को भी पेश की गई थी परन्तु उसके बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नही हुई जिस पर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय मे अतिशीघ्र पेश की जा रही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 24.09.2021 की पालना मे उचित मूल्य की दुकान प्राधिकृत पत्र संख्या 830/2000 ग्राम पपुरना तहसील खेतडी का अलोटमेन्ट किसी अन्य व्यक्ति को नही दिया जावे तथा उक्त उचित मूल्य की दुकान की वितरण सामग्री अपीलान्ट को दिये जाने का आदेश जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को दिया जाकर जिला रसद अधिकारी, झुंझुनूं को आदेश दिनांक 15.10.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान विभागीय पैरोकार ने बहस के दौरान वकील अपीलान्ट के कथनों का विरोध किया तथा तर्क प्रस्तुत किया कि जांच मे अपीलान्ट को दूसरे डीलर की दुकान अस्थाई अटैचमेन्ट पर दी गई थी। [illegible] अपीलान्ट द्वारा कम तोलने की शिकायत सही पाई गई। बाट व [illegible] भी जांच मे [illegible] नही पाये गये। मौके पर जांच के दौरान भौतिक सत्यापन मे [illegible] किलोग्राम गेहूं कम पाये गये। अपीलान्ट के विरूद्व जांच मे गंभीर अनियमितताएं पाई गई है। मौके पर बनाई गई फर्द पर अपीलान्ट स्वयं के हस्ताक्षर है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण का कार्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 16:11:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थी की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का भी अवलोकन किया। हम विभागीय प्रतिनिधि के इन कथनों को उचित मानते है कि जांच मे अपीलान्ट द्वारा कम तोलने की शिकायत सही पाई गई है। बाट व माप भी जांच मे सही नही पाये गये है। मौके पर जांच के दौरान भौतिक सत्यापन मे 169 किलोग्राम चीनी व 1057 किलोग्राम गेहूं कम पाये गये है। अपीलान्ट के विरूद्व जांच में गंभीर अनियमतिताएं पाई गई है। मौके पर बनाई गई फर्द पर अपीलान्ट स्वयं के हस्ताक्षर है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध पारित आदेश विधि सम्मत है क्योंकि अपीलान्ट द्वारा राशन वितरण का कार्य नियमानुसार नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई फोर्स नहीं होने से खारिज की जाती है। अतः पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 03.03.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.03.23 15:11:01 IST
Reason: SelfAttested